राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

दिनांक : 21-12-2022

क्रमांक : वाद/2022/ 1677

विप्रार्थीगण

प्रार्थी **बनाम**

1. शान्तिदेवी पत्नी अजबाराम
जाति मेगवाल निवासी, पुराना गांव,
बायतु पनजी, तह. बायतु(बाड़मेर)

1. शंकुर खां पुत्र नेने खां वगैरा 14,
जाति मुसलमान निवासी नया सोमेसरा
नौसर, तह. बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 326/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – नया सोमेसरा, पटवार मण्डल – नौसर ,तहसील – बायतु जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 282 रकबा क्रमशः 3.5920 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेती की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

21/12/2022

(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/ 1678-1682

दिनांक : 21-12-2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री शान्तिदेवी पत्नी अजबाराम
4. विप्रार्थी श्री शंकुर खां पुत्र नेने खां वगैरा 14,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

21/12/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु